राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी(प्रथम), जोधपुर

क्रमांक :– एफ 33(3)/रसद/नीलामी/2017–2018/ 306 दिनाक :– 20/03/2018

निलामी विज्ञप्ति संख्या 02/2017–2018

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 04/2017 (87/2017) में जब्तशुदा मिलावट युक्त डिजल के अन्तिम निस्तारण के आदेश पारित किये गये है । अन्तिम निस्तारण योग्य वस्तुओं की इस कार्यालय द्वारा निम्न सामग्री को निलामी द्वारा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर गठित कमेटी द्वारा निम्नानुसार स्थान एवं दिनांक को अपरान्ह 01.00 पी0एम0 सेनिलामी प्रारम्भ की जावेगी । इच्छुक खरीददार निर्धारित धरोहर राशि निलामी दिनांक को 12.00 बजे तक जमा करवाकर निलामी में भाग ले सकता है ।

कम संख्या	सामग्री का नाम	स्थान जहां निलामी की जानी है ।	मात्रा	अनुमानित लागत रूपये	धरोहर राशि	निलामी की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
1	जब्त मिलावट युक्त डिजल 11990 लीटर	पुलिस थाना कुडी भुगतासनी जिला जोधपुर	11990 लीटर मिलावट युक्त डिजल	480000	9600	22.03.2018 1 पी0एम0 से 4 पी0एम0 तक

नोटः–

1–धरोहर राशि कालम 6 में दर्शायानुसार बोली के निर्धारित समय से पूर्व डीडी/बैंकरचैक/नकद द्वारा जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर के नाम से निलामी समय से पूर्व जमा करवाना होगा ।

2–बोलीदाता स्वयं उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकता है ।

3–बोलीदाता के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 30 लीटर पेट्रोल व एक हजार लीटर डीजल से अधिक क्रय का वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है ।

4–उक्त आईटम जैसा है जहाँ है तथा जैसी स्थिति में है ,के आधार पर विक्रय किया जायेगा ।

5–इच्छुक बोलीदाता भण्डारित पदार्थ का नियमानुसार निरीक्षण कर सकता है ।

6–सामान का विस्तृत विवरण कार्यालय में ज्ञात किया जा सकता है ।

निलामी की शर्ते :–

1–डाक/दुरभाष/ई–मेल द्वारा बोली मान्य नहीं होगी ।

2–गठित निलामी समिति के समक्ष निलामी की जावेगी ।

3–उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छूटने पर बोलीदाता को कुल कीमत की राशि तुरंत जमा करानी होगी । सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा न करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी । निलामी बोली की पुष्टि जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा किय जाने पर बोली अन्तिम मानी जाएगी । एवं निलामी सामग्री की सुपुर्दगी तभी दी जाएगी ।

4–सफल बोलीदाता द्वारा भण्डारण स्थल से पदार्थ/वस्तुओं का उठाव निलामी स्वीकृति दिनांक से 7 दिन की अवधि में किया जायेगा ।

5–सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर(आयकर/ब्रिकी कर /वेट /जीएसटी इत्यादि जो भी देय हो)देना होगा ।

6–सफली बोलीदाता लाईसेंस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ही उठाव करेगा ।

7–बोली स्वीकृत /निरस्त करने का अधिकार समिति/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा तथा कारण बताना आवश्यक नहीं होगा ।

8–निलामी के सर्न्दभ मे अन्य किसी जानकारी हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय प्रथम जोधपुर के कार्यालय मे कार्य दिवस मे सम्पर्क किया जा सकता है ।

9–न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा ।

(ओंकार सिंह कविया)
जिला रसद अधिकारी (प्रथम),
जोधपुर

Phone no 0291-2650317 email-dsofood-jod-rj@nic.in

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी(प्रथम), जोधपुर

क्रमांक :– एफ 33(3)/रसद/नीलामी/2017/ 307 दिनाक :– 25/01/18

–निलामी नोटिस–

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या 04/2017 के अन्तर्गत जब्त मिलावट युक्त डिजल की खुली निलामी पुलिस थाना कुडी भुगतासनी जिला जोधपुर में दिनांक 22.03.2018 को दोपहर 01.00 पी0एम0 से 4 पी0एम0 तक की जानी है । निलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी निलामी विज्ञप्ति संख्या 02/2017–2018 से देखी जा सकती है ।

(ओंकार सिंह कविया)
जिला रसद अधिकारी (प्रथम),
जोधपुर

क्रमांक :– :– एफ 33(3)/रसद/नीलामी/2017/ 308–316 दिनाक 25/01/18

:–प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–अतिरिक्त आयुक्त खाध एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर ।
2–जिला कलक्टर जोधपुर ।
3–पुलिस आयुक्त जोधपुर/पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ।
4– वित्तिय सलाहकार खाध एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर ।
5–उप निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क जोधपुर राजस्थान को भेजकर लेख है कि निलामी की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करावें ।
6–उपखण्ड अधिकारी जोधपुर/लूणी जिला जोधपुर।
7–कोषाधिकारी ग्रामीण/शहर जोधपुर ।
8–थानाधिकारी पुलिस थाना कुडी भुगतासनी जिला जोधपुर ।
9–रक्षित पत्रावली ।

(ओंकार सिंह कविया)
जिला रसद अधिकारी (प्रथम),
जोधपुर

Phone no 0291-2650317 email-dsofood-jod-rj@nic.in